न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 114 / 2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

हरजीराम पुत्र लाखाराम जाति रबारी, निवासी– पायलां खुर्द, तहसील– सिणधरी, जिला– बालोतरा	1. गुणेशाराम पुत्र लाखाराम 2. धुसाराम पुत्र लाखाराम 3. मांगाराम पुत्र नारणा, जातियान रबारी, निवासी– पायलां खुर्द, तहसील– सिणधरी, जिला– बालोतरा 4. शाखा प्रबन्धक, **B.L.D.B.L भाखा – बालोतरा** 5. **तहसीलदार, सिणधरी**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 5 के पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 06.05.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि पटवार मण्डल पायलां खुर्द के ग्राम पायलां खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 325 रकबा 2.9791 हेक्टेयर की भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 19.03.2026 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर पटवार मण्डल पायलां खुर्द के ग्राम पायलां खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 325 रकबा 2.9791 हेक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	हरजीराम पुत्र लाखाराम जाति राईका सा. देह. खातेदार। रहन– बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैक बालोतरा	पायलां खुर्द	325	0.3623	बा. अव्वल	0.08	हरा
2	मांगाराम पुत्र नारणाराम जाति राईका सा. देह खातेदार।	पायलां खुर्द	325	1.4491	बा. अव्वल	0.31	गुलाबी
3	गुणेशाराम पुत्र लाखाराम 2/3 हि. धूंसाराम पुत्र लाखाराम 1/3 हि. जाति राईका सा. देह खातेदार।	पायलां खुर्द	325	1.0868	बा. अव्वल	0.23	केसरिया
4	राज. सरकार (रास्ता)	पायलां खुर्द	325	0.0789	गै. मु. रास्ता	–	लाल

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी